निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 145 / 2015 दावा
दायरा दिनांक 10.11.2015
निर्णय दिनांक :–26.04.2017

उनवान

1. श्रीलाल पुत्र कालूराम
2. रामकल्याण पुत्र कालूराम
3. रामसिंह पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासीगण खेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज.)।

बनाम

1. कंवरलाल पुत्र भॅवरया
2. हीरालाल पुत्र भॅवरया
3. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
4. रामलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
5. पानाचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण
6. भैरूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
7. लटूरी पुत्री लक्ष्मीनारायण
8. बरदी पुत्री लक्ष्मीनारायण
9. लेखराज पुत्र कजोड
10. मुरली पुत्र कजोड
11. सावित्री पुत्री कजोड
12. नटीबाई पत्नी कजोड
13. परमानन्द पुत्र औकार
14. केसरीलाल पुत्र औंकार (मृतक)
15. कंवरी बेवा औंकार (मृतक)
16. विनोद पुत्र रामप्रताप
17. दिलखुश पुत्र रामप्रताप
18. राकेश पुत्र रामप्रताप
19. कालीबाई पुत्री रामप्रताप
20. बरफाबाई पुत्री रामप्रताप
21. भरोसी बेवा रामप्रताप जाति मीणा निवासीगण खेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला ब
22. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.

Scanned by CamScanner

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 53 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 26.04.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा वादी

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नबर 161 रकबा 7 बीघा मौजा खेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबदी सख्या 16 सम्वत् 2069 ता 72 से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के शामलाती खातेदारी मे चली आ रही है। आराजी खसरा नंबर 121 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर159 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 482 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा किता 3, रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा मौजा खेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबदी संख्या 15 सम्वत् 2069 ता 72 से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के शामलाती खातेदारी मे चली आ रही है। आराजी खसरा नंबर 113 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 114 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 116 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा खसरा नंबर 122 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 330 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, किता 5 रकबा बीघा 16 बिस्वा मौजा खेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबं संख्या 14 सम्वत् 2069 ता 72 से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के शामलाती खातेदारी मे च आ रही है। उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 की पारिवारिक सम्पत्तियां जिनका आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व बाहमी विभाजन हो रहा है, जिसके मुजब वादीगण के हिस्से निम्न आराजीयात आयी है। खसरा नंबर 161 रकबा 7 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नंबर 121 रकबा 3 बीघा बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा नंबर 482 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा, खसरा नंबर 122 रक बीघा 12 बिस्वा मे से 19 बिस्वा व खसरा नंबर 113 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नंबर 116 1 बीघा 06 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा वादीगण के हिस्से मे आई है। वादीगण उक्तानुसार अपने की आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी वादीगण के हक व हिस्से मे आई है, तथा नंबर 121 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण हक व हिस्से मे आयी है, जिस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है, इसलिए वादीगण उक्त वर्णित आराजीयात मे से अन्य सहखातेदारान का नाम के कानूनी अधिकारी है, तथा अपने खातेदारी मे दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है, उक वादीगण के हक व हिस्से की आराजी वादीगण के खातेदारी मे दर्ज करवाने का निवेद प्रतिवादीगण से किया तो उन्होने टालमटोल की तथा दिनांक 06.10.2015 को प्रतिवादीगण इन्कार कर दिया है, इसलिए वादीगण को उक्त वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व खाता विभा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा है। वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 06.10.2 वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 से उक्त वर्णित आराजीयात का पूर्व बाहमी विभाजन वादीगण के हिस्से की आराजी वादीगण के अलग से खातेदारी मे दर्ज करवाने की कहने पर त द्वारा मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner